छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5–21 / 2022 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक 2 / 12 / 2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय : – जांजगीर–चांपा जिले के जांजगीर–चांपा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Raigarh Mining & Benefication Private Limited द्वारा Conservation of Road for Raigarh Mining हेतु रकबा 0.997 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रवंध) का पत्र क्रमांक / भू–प्रवंध / विविध / 115–906 / 2578, दिनांक 11.11..2022।

––––00––––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 10 में प्रस्तावित कार्य हेतु सर्वे किये गये तीन विकल्पो का तुलनात्मक विवरण दिया गया है, किंतु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 42 में इससे संबंधित नक्शें में चिंहांकन कर तत्संबंधी नक्शा प्रदाय नही किया गया है।कृपया बिंदु क्र. 10 में उल्लेखित तथ्यों के अनुरुप तीन विकल्पों से संबंधित नक्शा / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 16 में स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु निम्नानुसार लेख किया गया है :–

   ''आवेदित वन भूमि 0.997 हे. क्षेत्र में वृक्षों का विदोहन नहीं होना है। आवेदक संस्थान के कथन अनुसार स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 07 वर्षीय मय उपचार मानचित्र अक्षांश, देशांश प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जावेगा।''

   वहीं प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 52 से 53 में आवेदक संस्थान द्वारा 100 वृक्ष लगाने का वचन पत्र दिया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।
3. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 22, 23, 24, 25 में उल्लेखित तथ्य तथा इससे संबंधित पृष्ठ क्र. 68, 69, 71, 72 में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित प्रमाण पत्र के वर्णन में भिन्नता है। कृपया बिंदु क्र. 22, 23, 24, 25 में उल्लेखित तथ्यों के अनुरुप पृष्ठ क्र. 68, 69, 71, 72 में प्रदायित प्रमाण पत्र को संशोधित कर प्रस्तुत करें।

क्रमशः

4.संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 27 में प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 85 में उल्लेखित प्रमाण पत्र में निम्नानुसार लेख है :-

"प्रमाणित किया जाता है कि आर.एफ. 42 छितापंडरिया व्यपवर्तन क्षेत्र में 15 कि.मी. की परिधि में कोई भी वन्यप्राणी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र शामिल नही है और नही ऐतिहासिक स्थल प्रस्तावित नही है।"

उक्त विवरण से यह स्पष्ट नही है कि, प्रस्तावित क्षेत्र के 15 कि.मी. की परिधि में ऐतिहासिक महत्व का स्थल प्रस्तावित है अथवा नही। कृपया स्पष्ट उल्लेख करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

5.संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 33 में उल्लेखित तथ्य तथा वनमंडलाधिकारी द्वारा पृष्ठ क्र. 97 में प्रदायित प्रमाण पत्र के वर्णन में भिन्नता है। कृपया बिंदु क्र. 33 के अनुरुप पृष्ठ क्र. 97 में प्रदायित प्रमाण पत्र को संशोधित कर प्रस्तुत करें।

2/– अतः आदेशानुसार निवेदन है कि, कृपया उक्तानुसार वांछित जानकारी/प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

02/12/22

(आर.के. चंचलानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक/एफ 5–21/2022/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 2/12/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ।
3. वनमंडलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमंडल, जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ।
4. **Director**, Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited, Hatri Chowk, Sariya District-Raigarh, Chhattisgarh.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

02/12/22

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

dc